Difficulties faced by Jugghi Jhonpari Dwellers in Trans-Jamuna Area

3878. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the approximate population now in the Jamuna trans area after the shifting of about two lakhs Jhuggi Jhonpari dwellers from there during the emergency;

(b) whether the bridges over the Jamuna River between trans-Jamuna area in Delhi and old Delhi between these two parts are sufficient to cater to the requirements of the people; and

(c) if not, what steps Government are taking to remove these difficulties of the people?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) to (c). According to 1971 census, the trans-Jamuna area in Delhi had a population of 4,62,241. Four permanent bridges already exist and another bridge near Inter-State Bus Terminal has been planned for construction.

Expansion of Monopoly Houses and Multinationals

3879. SHRI A. BALA PAJANOR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have studied the references made by the Finance Minister, West Bengal in his Budget Speech regarding expansion of monopoly houses and multinational Corporations and regarding the need for a clear cut policy on drastically curtailing their activities; and

(b) the time by which Government propose to bring about a clear cut policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) and (b). Government have seen the Budget Statement made by the Finance Minister of West Bengal. The Minister of Industry had already laid before Parliament the Statement on Industrial Policy on 23rd December, 1977, which *inter alia* clarifies the policy of Government relating to the regulation of the activities of large industrial houses and foreign companies. Paragraphs 17, 18 and 19 of the Statement explain Government's policy relating to expansion of large industrial houses. Paragraphs 24, 25 and 26 of the Statement clarify the policy relating to foreign investment and foreign companies.

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

3880. **श्री गोविंदराम मिरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग से अवगत है जिसे केवल नए ताप बिजली घरों की स्थापना करके अथवा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वर्तमान बिजली घरों का विस्तार करके पूरा किया जा सकता है ;

(ख) बिजली पैदा करने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नए बिजली घरों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) कोयले के निक्षेपों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिसके अभाव में विद्युत् परियोजना के क्रियान्वयन में बिलम्ब हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा जनवरी, 1973 में गठित स्थायी संयोजन समिति, की नियमित बैठकें होती हैं जिनमें, बिजली उत्पादन के कार्यक्रम के अनुरूप, वर्तमान

तथा नए ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की पुनरीक्षा की जाती है। इस समिति में रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, योजना आयोग, कोयला उत्पादक संगठनों, कोयला विभाग, उद्योग और नागरिक पूर्ति विभाग, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खान आयोजन व डिज़ाइन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्थायी संयोजन समिति की नियमित सावधिक बैठकों के अतिरिक्त जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब इसकी विशेष बैठकें भी की जाती हैं जिनमें कोयले की उपलब्धता की दृष्टि से नए ताप बिजली घरों को मंजूरी दी जाती है।

(ग) सरकार देश में कोयला भण्डारों—खासतौर से ताप बिजली उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने वाले भण्डारों—की खोज के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठा चुकी है। कोयले की कमी के कारण किसी बिजली घर की योजना नहीं रुकी है।

सेवाओं में हरिजनों तथा आदिवासियों की नियुक्ति

3881. **डा० रामजी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान केन्द्र सरकार की सेवाओं में श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के पदों पर कितने हरिजनों तथा आदिवासियों की नियुक्ति की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ पदों पर और अधिक हरिजनों तथा आदिवासियों को नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कलैण्डर वर्ष 1976 के दौरान श्रेणी I, II, III तथा IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर) पदों में केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कलैण्डर वर्ष 1977 के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना आने वाली है और केवल 31 मार्च, 1978 के बाद मंत्रालयों विभागों से उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) वरिष्ठ पदों सहित विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पहले से ही इस विषय पर संगत आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध हैं। नियोक्ता प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पिछले वर्षों से अग्रेनीत आरक्षणों सहित, आरक्षित रिक्तियों पर, इन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती करने के सभी निर्धारित कदम उठाये। ये कदम वर्तमान वर्ष के दौरान भी उठाये जाते रहेंगे। इनके अतिरिक्त, सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के और अधिक उम्मीदवार भर्ती करने की दृष्टि से हाल ही में निम्नलिखित और कदम उठाये गये हैं :—

(i) एक वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (अग्रेनीत की गई रिक्तियों सहित) सामान्यतया कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अध्याधीन है। किन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि जब कभी न भरी गई आरक्षित रिक्तियां अग्रेनीत की गई हों, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक रिक्तियां आरक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए,